32/10

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/8/18	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 01.10.2010 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। इसके पश्चात से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के का0मु0 के पी0एफ0 नोटिस एवं संशोधित शीर्षक वकील अपीलाण्ट द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए है। जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 5 के अनुसार सात दिवस के भीतर पी0एफ0 सम्मन प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है, जिसकी पालना नहीं किए जाने की दशा में अपील खारिज करने के भी प्रावधान है। इस कारण से अपील गत आठ वर्ष से तलबी में ही नियत है। यह स्थिति न्यायिक दृष्टिकोण के विरूद्ध होकर प्रकरण को जानबूझकर लम्बा करने की श्रेणी में परिलक्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि जिस भूमि के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की है, उस भूमि का बेचान अपीलाण्ट द्वारा अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है। जिसकी ताईद में उन्होने जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा जिस भूमि को अपनी खरीदसुदा बताते हुए उसके आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है, वह राजस्व रेकर्ड में अन्य व्यक्ति, जो क्रेता है, के नाम दर्ज हो चुकी है। इस कारण अपीलाण्ट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हित शेष नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा का0मु0 को रेकर्ड पर लेने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जो अपील में अपीलाण्ट द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं अपील को विलम्बित करने की मंशा को उजागर करता है। इन समस्त कारणों एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 5 के तहत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली	